

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 19, फरवरी-2021,  
-संशोधित आदेश-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-48/2021 दिनांक 19.02.2021 द्वारा लखनऊ में गठित दोनों युगल पीठ 08.03.2021 से 12.03.2021 एवं 22.03.2021 से 27.03.2021 तक व्यक्तिगत कारणों से युगल पीठों से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।

अतैव मुख्यालय के पूर्व निर्गत युगल पीठ आदेशांक-426/2021 दिनांक 18.02.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 23.03.2021 से 27.03.2021 तक श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ के स्थान पर न्यायिक सदस्य, श्री क्षितिज कुमार श्रीवास्तव, पीठ-बरेली एवं दिनांक 22.03.2021 से 27.03.2021 तक श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ (विभागीय) के स्थान पर श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ (विभागीय) को नामित किया जाता है।

खण्डपीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/19.02.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/ 431 /2021, तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1,2,3 लखनऊ व पीठ-बरेली।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।